भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 507
9 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एस्स में संकाय की कमी

507. श्री लल्लू सिंह:
श्री अरूण साव:
श्री विजय बघेल:
श्री दिलीप साईकीया:
श्री देवजी पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एमबीबीएस छात्रों के लिए उपलब्ध संकाय आवश्यकता से कम है;
(ख) यदि हां, तो वर्तमान छात्र शिक्षक अनुपात का एम्स वार ब्यौरा क्या है
(ग) क्या रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में देशी के कारण डॉक्टरों की भारी कमी की समस्या है और निकट भविष्य में इसका समाधान होने की कोई संभावना भी नहीं है;
(घ). उक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;
(ङ). रायपुर (छत्तीसगढ़), राजस्थान और गुवाहाटी सहित देश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में आज की तारीख तक कितने पद स्वीकृत और रिक्त है; और
(च) उक्त पदों पर नियुक्ति/इन्हें भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): सरकार ने एमबीबीएस विद्याथयों को पढ़ाने के लिए सभी नवसृजित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) के लिए पर्याप्त संकाय पद संस्वीकृत किए हैं। नए एम्स के मामले में संस्थानों द्वारा प्रदत्त छात्र-शिक्षक अनुपात का संस्थान-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।.

(ग) से (च): नव सृजित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्वीकृत, भरे हुए और रिक्त संकाय पदों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

नव स्थापित एम्स में संकाय की संख्या बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु सुगम बनाने के लिए प्रत्येक नए एम्स में स्थायी चयन समिति (एसएससी) का गठन किया गया है।

(ii) प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई है।

(iii) सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सेवारत संकाय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) 70 वर्ष तक की आयु के सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों की संविदात्मक नियुक्ति की भी अनुमति दी गई है।

(v) अप्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को संकाय पदों पर नियुक्त किए जाने की अनुमति दी गई है।

(vi) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकाय को शिक्षण और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नव स्थापित एम्स में कार्य करने की अनुमति देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी स्कीम तैयार की गई है।

(vii) एक विभाग से दूसरे विभाग में ऋण आधार पर संकाय पदों के अस्थायी विपथन की अनुमति दी गई है, जिन्हें संविदा के आधार पर भरा जा सकता है।

(viii) रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भर्ती हेतु एक वर्ष की वैधता वाला विज्ञापन जारी किया गया है।

अनुलग्नक-I

नवनिर्मित एम्स में छात्र-शिक्षक अनुपात

क्र.सं	एम्स	छात्र-शिक्षक अनुपात
1	भोपाल	3.3:1
2	भुवनेश्वर	2.34:1
3	जोधपुर	2.97:1
4	पटना	4.5:1
5	रायपुर	5.29:1
6	ऋषिकेश	3.4:1
7	मंगलगिरी	2.94:1
8	नागपुर	4:1
9	कल्याणी	3.14:1
10	गोरखपुर	5.4:1
11	बठिंडा	3:1
12	बिलासपुर	2:1
13	गुवाहाटी	2.7:1
14	देवघर	4:1
15	बीबीनगर	5:1
16	राजकोट	3.5:1
17	विजयपुर	2.37:1
18	रायबरेली	4.13:1

*एम्स मदुरै ने 8 संविदात्मक संकाय और एम्स मंगलागिरी द्वारा उपलब्ध कराए गए 4 संकाय के साथ 50 छात्रों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया है।

अनुलग्नक-II

नवनिर्मित एम्स के संबंध में संकाय पदों का ब्यौरा

क्र सं	एम्स	संकाय पद		
		स्वीकृत	भरे गए	रिक्त
1	भोपाल	305	200	105
2	भुवनेश्वर	305	231	74
3	जोधपुर	305	228	77
4	पटना	305	154	151
5	रायपुर	305	170	135
6	ऋषिकेश	305	199	106
7	मंगलगिरी	183	118	65
8	नागपुर	183	119	64
9	कल्याणी	183	95	88
10	गोरखपुर	183	78	105
11	बठिंडा	183	111	72
12	बिलासपुर	183	93	90
13	गुवाहाटी	183	79	104
14	देवघर	183	94	89
15	बीबीनगर	183	92	91
16	राजकोट	183	40	143
17	विजयपुर	183	76	107
18	रायबरेली	183	82	101